कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / 2020 /   लखनऊ, दिनांक– 23 मार्च,2020

:::: कार्यालय ज्ञाप ::::

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कोरोना (COVID-19) बीमारी को महामारी घोषित किया जा चुका है, जिसके बचाव हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गये हैं कि इस बीमारी के संक्रमण को रोकने हेतु यथा सम्भव जनमानस से सम्पर्क कम किया जाये। अतः ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो छात्र जिस मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उसको अपने संस्थान से ही इन्टर्नशिप प्रशिक्षण कराया जाये। किसी भी छात्र को अन्यत्र जिला चिकित्सालय / प्रदेश के बाहर इन्टर्नशिप की अनापत्ति अग्रिम आदेशों तक प्रदान न की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 2594-2604   तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ जिला चिकित्सालयों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4– कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। / उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
8– सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश, माल एवेन्यू, लखनऊ।
9– पास अधिकारी, जवाहर भवन / इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इन्टर्नशिप प्रशिक्षण की अनुमति हेतु किसी छात्र / अभिभावक को पास निर्गत न किया जाये।
10– नोटिस बोर्ड।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक